

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

प्रधान आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर

CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX कोचिन. COCHIN

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

फा.सं.॥ /39/9/2015 -हिन्दी /के.उ.श्.

तारीख Date: 06.01.2017

सेवा में /To

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य, केन्द्रीय उत्पाद,सीमा शुल्क एवं सेवा कर आयुक्तालय, कोचिन-18 All the members of the O L I C, Central Excise & Customs Commissionerate, Cochin-18.

महोदय/महोदया/Sir /Madam,

विषय : राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 29.12.2016 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

Sub: Minutes of the quarterly Meeting of the Official Language Implementation

Committee held on 29.12.2016.

केन्द्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवा कर प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोचिन -18 की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 29.12.2016 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए इस के साथ संलग्न है। सभी संबन्धित अधिकारियों से अनुरोध है कि समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

Kindly find enclosed a copy of the minutes of the quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee (OLIC) of the Office of the Principal Commissioner of Central Excise & Customs, Cochin-18 held on **29.12.2016**. All concerned Officers are requested to take necessary action to ensure the compliance of the decision taken by the Committee.

भवदीय/Yours faithfully,

बी.जी.कृष्णन/B.G.KRISHNAN

उप आयुक्त(का.व सत.)/DEPUTY COMMISSIONER[P&V]

## प्रतिलिपि /Copy to:

- महा निदेशक, निरीक्षण महा निदेशालाय, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क, इन्द्र प्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली
   The Director General, Directorate of Inspection, Central Excise & Customs, "D" Block,
   P Estate, New Delhi 2.
- 2 मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क, केन्द्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस रोड, कोचिन–18. The Chief Commissioner of Central Excise, C.R.Building, I.S.Press Road, Cochin-18
- 3 आयुक्त के निजी सचिव/ सभी अनुभाग प्रमुख/मण्डल कार्यालय P.S to Commissioner/ All Section Heads/ Divisions
- 4 सभी केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क आयुक्त All the Commissioner's of Central Excise & Customs.



## भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर
CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX
कोचिन COCHIN

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई एस प्रेस रोड: कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोचिन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 29.12.2016 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त ।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोचिन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 29.12.2016 को मध्याहन 12.30 बजे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर प्रधान आयुक्त श्री पुल्लेला नागेश्वरा राव की अध्यक्षता में आयुक्तालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई।

The quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee of the Office of the Principal Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Cochin was convened on 29.12.2016 at 12.30 noon under the Chairmanship of Shri Pullela Nageswara Rao, Principal Commissioner of Central Excise, Customs and Service Tax, Cochin in the Conference Hall of the Commissionerate. The following members attended the meeting.

क्र.सं.	Commissionerate. The following members attended the meeting.  क्र.सं. अधिकारी का नाम पदनाम अनुभाग /मंडल				
1	•	· ·			
Sl.No.	Name of the Officer	Designation	Section/Division		
1	श्री अमरनाथ केसरी	संयुक्त आयुक्त (का.व सत.)	मुख्यालय		
	Shri Amarnath Kesari	Joint Commissioner(P&V)	Hqrs.		
2	श्रीमती बी.उषा देवी	संयुक्त आयुक्त (तकनीकी)	मुख्यालय		
	Smt. B. Usha Devi	Joint Commissioner(Technical)	Hqrs.		
3	श्री बी.जी.कृष्णन	उप आयुक्त(निवारक), (का.व सत.)	मुख्यालय		
	Shri B.G.Krishnan	Deputy Commissioner(Prev.), (P&V)	Hqrs.		
4	श्री अश्विन जॉन जॉर्ज	सहायक आयुक्त	एणीक्लम -1 मंडल		
_	Shri Ashwin John George	Asst.Commissioner	Ernakulam –I Dvsn		
5	श्री राजन जी. जॉर्ज	सहायक आयुक्त	एर्णाकुलम -2 मंडल		
	Shri Rajan G. George	Asst.Commissioner	Ernakulam –II Dvsn		
6	कु.रोसम्मा वरगीस	सहायक आयुक्त	सेवा कर मंडल		
	Ms. Rosamma Varghese	Asst.Commissioner	Service Tax Dvsn		
7	श्री शाजी जॉन	सहायक आयुक्त	कोद्वयम मंडल		
	Shri Shaji John	Asst.Commissioner_	Kottayam Dvsn		
8	श्री ई.के.बाबु	सहायक आयुक्त	कोष्ट्रयम आई.सी.डी.		
	Shri E.K.Babu	Asst.Commissioner	ICD Kottayam		
9	श्री एब्रहाम रेन्न	सहायक आयुक्त	मुवाहुपुया मंडल		
	Shri Abraham Renn	Asst.Commissioner	Muvattupuzha Dvsn		
10	श्रीमती सुनयना कृष्णन	सहायक आयुक्त (तकनीकी)	मुख्यालय		
	Smt. Sunayana Krishnan	Asst.Commissioner(Technical)	Hqrs.		

Page 1 of 4

11	कु.पोन सुप्रिया	सहायक आयुक्त(समीक्षा व विधिक)	मुख्यालय
	Ms. Pon Supriya	Asst.Commissioner(Review & Legal)	Hqrs.
12	श्री कृष्नेत् राजा मिनटू पी.एस.	सहायक आयुक्त	मुख्यालय
	Shri Krishnenthu Raja Mintoo P.S.	(न्यायनिर्णयन व लेखा परीक्षा)	Hqrs.
		Asst.Commissioner(Adjn.& Audit)	
13	श्री बेन्नी पी.जेकब	अधीक्षक(ई.डी.पी.)	म्ख्यालय
	Shri Benny P.Jacob	Superintendent(E.D.P.)	Hqrs.
14	नौषाद	निरीक्षक	मुवाहुपुया मंडल
	Naushad	Inspector	Muvattupuzha Dvsn
15	शिवाणी	निरीक्षक	सेवा कर मंडल
	Shivani	Inspector	Service Tax Dvsn
16	श्रीमती रोसेलिंड जोस थॉमस कोस्त	कनिष्ठ हिन्दी अन्वादक	म्ख्यालय
	Smt Rosalind Jose Thomas Koruthu	Junior Hindi Translator	Hqrs.

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और बैठक आरंभ की । The Chairman welcomed all the members of the Committee and commenced the meeting.

I पिछली बैठक के निर्णयों पर कार्रवाई /Action taken on the decisions of the last meeting.

a. \_राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है | Documents coming under section 3(3) of OL Act,1963 should be issued only in bilingual form:-

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजात जैसे कि स्थापना आदेश, परिपत्र, अधिसूचनाएं, सूचनाएं आदि 'हिन्दी रूपांतर बाद में' लगाकर जारी होते हैं और एक प्रति हिन्दी अनुभाग में अनुवाद के लिए भेज देते हैं और उसे अनुवाद के बाद हिन्दी अनुभाग वापस कर देता है ।अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया है कि भविष्य में भी इसे सख्ती से पालन किया जाएं ।

The documents coming under section 3(3) of OL Act,1963 like establishment orders, circulars, notifications, notices etc were issued with 'Hindi version follows' and one copy was sent to Hindi Section and the same was translated and given back by the Hindi Section. The Chairman directed that the same may be strictly followed in future too.

कार्रवाई:- प्रशासनिक अधिकारी(मु.), तकनीकी,न्यायनिर्णयन, सतर्कता के अधीक्षक, जन संपर्क अधिकारी, हिन्दी अनुवादक

Action:-AO(Hqrs.), Supdt.s of Technical sections, Adjn., Vigilance, PRO,JHT

b. नागरिक अधिकार पत्र - हिन्दी रूपांतर / Citizen Charter- Hindi version :-

समिति को सूचित किया गया कि नागरिक अधिकार पत्र के हिन्दी रूपांतर कार्यालय वैबसाइट में उपलब्ध है।

The Committee was informed that the Hindi version of the Citizen charter is available in the office website.

c. कैरली पत्रिका का प्रकाशन/ Publication of Kairali Magazine :-

समिति को सूचित किया गया कि विभागीय पत्रिका कैरली के संबंध में प्रकाशन योग्य सामग्री मांगती हुई एक परिपत्र जारी किया गया था और बाद में एक स्मरण पत्र भी । इन परिपत्रों के बावजूद अधिकारियों से केवल दो रचनायें ही प्राप्त हुई हैं, इसीलिए अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि जनवरी महीने में ही हिन्दी के प्रचार हेतु और अधिकारियों से पत्रिका के लिए प्रकाशन योग्य सामग्री मांगने के लिए एक बैठक बुलाई जाए।

The Committee was informed that a circular was issued asking articles for the in-house magazine Kairali and a reminder was also issued later. Since only two articles were received from the officers in spite of the above circulars the Chairman suggested that a meeting may be conducted in January in order to propagate Hindi and to ask articles from the officers for the Kairali magazine.

कार्रवाई :- राजभाषा हिन्दी अनुभाग/केयर टेकर, जन संपर्क अधिकारी एकक Action :- OL Hindi Section/Care taker, PRO Unit

II हिन्दी पत्राचार की प्रतिशतता पर समीक्षा /

Review of the percentage of the Hindi Correspondence:-

समिति को तीनों क्षेत्रों में जाने वाले हिन्दी पत्रों की प्रतिशतता सूचित की गई। वह इस प्रकार है:- यथाक्रम दिनांक 30.09.2016,31.12.2016 को समाप्त होने वाली तिमाहियों में क -52.5%-49.01%,ख-53.1%-50%,ग -49.5%-47.2%।

The Committee was informed percentage of Hindi correspondence to three regions:- It is as follows: - A-52.5%-49.01%, B-53.1-50%, C-49.5%-47.2% for the quarters ending on 30.09.2016,31.12.2016 respectively.

कार्रवाई:- सभी अनुभाग

**Action: - All Sections** 

III सदस्यों से सुझाव /Suggestions from the members

1.हिन्दी समाचार पत्र -राजस्थान पत्रिका / Hindi Newspaper –Rajasthan Patrika.

अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि हिन्दी समाचार पत्र "राजस्थान पत्रिका" की एक प्रति आयुक्तालय में भी खरीदी जाए । The Chairman suggested that one copy of the Rajasthan Patrika Newspaper may be purchased for the office too.

कार्रवाई: - राजभाषा हिन्दी अनुभाग/केयर टेकर, जन संपर्क अधिकारी एकक Action: - OL Hindi Section/Care taker, PRO Unit

2. तीन मंजिलों में बोर्ड पर हर दिन हिंदी शब्दों का प्रदर्शन /Daily Display of Hindi words on boards in three floors.

अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि कार्यालय भवन की तीन मंज़िलों पर हिन्दी बोर्ड रखे जाएं और उन पर तीन अलग अलग हिन्दी शब्दों का प्रदर्शन हर दिन किया जाएँ । The Chairman suggested that Hindi boards may be fixed in three floors of the office building and three different Hindi words may be displayed on it each day.

कार्रवाई: - राजभाषा हिन्दी अनुभाग/केयर टेकर, जन संपर्क अधिकारी एकक Action: - OL Hindi Section/Care taker, PRO Unit

3.कार्यालय वैबसाइट का 100% द्विभाषीकरण /100% bilingualisation of Office Website.

प्रबंधन निष्पादन महानिदेशालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र के अनुसार कार्यालय वैबसाइट में उपलब्ध सामग्री हिन्दी और अंग्रेज़ी में भी होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि शुरुआत की तौर पर सभी आदेश हिन्दी में भी डाले जाएं। As per the letter received from Directorate General of Performance Management, New Delhi the materials available in the office website should be available both in English and in Hindi. The Chairman suggested that as a beginning all the orders may be uploaded in Hindi too in our website.

कार्रवाई :- राजभाषा हिन्दी अनुभाग Action :- OL Hindi Section 4. रिक्त हिन्दी पर्दों को भरना(एक सहायक निदेशक (रा.भा.) तथा एक कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक)
/Filling vacant Hindi posts:- (One Assistant Director (O.L.) and one Junior Hindi Translator)

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कोचिन क्षेत्र(मुख्य आयुक्त कार्यालय व केडर नियंत्रण प्राधिकारी कार्यालय) के लिए स्वीकृत हिन्दी पदों में से रिक्त पदों को भरने के लिए बोर्ड को पत्र लिखा जाएगा (एक सहायक निदेशक (रा.भा.) तथा एक कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक) । The Chairman told that we will be writing to the board for the recruitment of vacant Hindi posts out of the sanctioned Hindi posts for the Cochin CCO &CCA i.e. One Assistant Director (O.L.) and one Junior Hindi Translator.

कार्रवाई :- मुख्य आयुक्त कार्यालय व केडर नियंत्रण प्राधिकारी

Action :- C.C.O.&C.C.A.

5.फ़ाइलों पर 30% हिन्दी टिप्पणियाँ / 30% Hindi noting on files.

कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने सुझाव दिया कि हर मण्डल और हर अनुभाग हर फ़ाइल पर महीने में कम से कम तीन या चार हिन्दी टिप्पणियाँ लिखे ताकि तिमाही के अंत में कम से कम 25 % का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके । Junior Hindi Translator suggested that each division and section may write at least three or four Hindi notes on each file every month so that a target of at least 25% may be achieved at the end of each quarter.

कार्रवाई :- सभी अनुभाग,मंडल Action :- All Sections, Divisions

6. प्रशिक्षण सेल के साथ समन्वय में हिंदी प्रशिक्षण कक्षाएं /Hindi training classes in coordination with the Training cell.

अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि हिन्दी अनुभाग और प्रशिक्षण अनुभाग के साथ समन्वय में हिन्दी प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित की जाएं । The Chairman suggested that Hindi training classes may be conducted by the Hindi section in co-ordination with the Training cell.

कार्रवाई: - राजभाषा हिन्दी अनुभाग/प्रशिक्षण अनुभाग Action: - OL Hindi Section/Training Cell

सदस्यों से अन्य कोई सुझाव न होने पर अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक मध्याहन 01.00 बजे समाप्त हुई।

As no further suggestions came from the members the meeting ended at 01.00 noon with vote of thanks to the chair.

(बी.जी.कृष्णन/अ.G.KWISHNAN)

उप आयुक्त(का.व सत.)/DEPUTY COMMISSIONER(P&V)